कार्यालय:– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक:स्था./2026/ 19 दिनाँकः 27-2-26

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् कार्यालय आदेश//

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांकः 03/E.V./2026 दिनांक 27.02.2026 के द्वारा दिनांक 04.03.2026 (बुधवार) का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है।

उक्त आदेश की पालना में सम्पूर्ण दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य(जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, प्रोटोकॉल, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना–पत्र एवं अन्य) की सुनवाई हेतु तालिका में अंकित न्यायिक अधिकारी की प्रोटोकॉल/रिमाण्ड ड्यूटी निम्नानुसार लगाई जाती है:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01.	श्री विनोद खर्रा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय	04.03.2026

नोटः–शेष पूर्व आदेश यथावत रहेंगे।

उमेश 27/2/26
(उमेश वीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला–दौसा (राज.)

क्रमांक:– 499–509 दिनाँकः– 27-2-26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
02– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
03– श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
04– सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री .....
05– प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
06– लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
07– अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
08– उप– निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
09– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
10– जिला कारागृह दौसा
11– सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
12– आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

उमेश 27/2/26
(उमेश वीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला–दौसा (राज.)